

II/निग01 रीवा/2018/02294

28

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प रीवा म0प्र0



1. हरदयाल पाण्डेय पिता स्व0माता प्रसाद पाण्डेय
 2. कृष्णकांत पाण्डेय उर्फ मकरध्वज पाण्डेय पिता श्री हरदयाल पाण्डेय
- दोनो निवासी ग्राम पटना, तहसील रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म0प्र0

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1. शंकर दयाल पाण्डेय पिता स्व0माता प्रसाद पाण्डेय निवासी ग्राम पटना तहसील रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म0प्र0

.....गैर निगरानीकर्ता

निगरानी बिरुद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी तहसील रायपुर कर्चु0जिला रीवा म0प्र0 के राजस्व प्र0क018अ27/17-18 मे संलग्न आदेश दिनांक 6.3.2018 के बिरुद्ध अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.के अधीन निगरानी

महोदय,

निगरानी के आधार निम्न है:-

1. यह कि , अधीनस्थ न्यायालय का अलोच्य आदेश विधि एवं प्रक्रिया के बिपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि , स्पस्ट किया जाता है कि बिचारण न्यायालय के द्वारा प्रकरण क्रमांक 57अ27/16-17 के प्रकरण मे बटनवारा के प्रकरण मे आदेश पारित करते हुये अपील प्रकरण समाप्त की गयी है, क्योकि

श्री विद्वान् कृ. श्री. कृष्ण-
कांत पाण्डेय द्वारा
पेचा 10-4-18

कृष्णकांत पाण्डेय
राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर
पेचा संदी धारा


२८

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/रीवा/भूरा/18/02294

हरदयाल पाण्डेय बनाम शंकरदयाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-06-18 रीवा कैम्प	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। समय समय पर तीन बार आवाज लगवाई गयी। आवेदक को सुनवाई दिनांक की जानकारी होने के उपरांत प्रकरण में उपस्थित नहीं हुए। अतः प्रकरण अदम पैरवी में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।	 सदस्य